भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4264
दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

कैदियों के बच्चे

4264**. डॉ. शशि थरूरः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुपालन में विशेष गृहों, संप्रेक्षण गृहों और सुरक्षा स्थल सहित राज्यों में कितने बाल देखरेख संस्थान हैं;
(ख) उपरोक्त संस्थानों की स्वीकृत संख्या/क्षमता सहित वास्तविक संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार 18 वर्ष से कम आयु के कैदियों के बच्चों (सीओपी) को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के सीओपी के लिए कोई राष्ट्रीय अथवा आदर्श दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा सीओपी को शिक्षा, स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कोई पुनर्वास उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो राज्यों में सीओपी के पास उपलब्ध पुनर्वास/कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व-निर्धारित लागत हिस्सेदारी

आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से "मिशन वात्सल्य" नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना सीएनसीपी और सीसीएल श्रेणी के बच्चों को उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख तथा गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों में 50 बच्चों की क्षमता वाले बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) तथा पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और अन्य राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में 25 बच्चों की क्षमता वाले बाल देखरेख संस्थाओं अथवा राज्यों की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए गए है।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षित स्थानों की संख्या, साथ ही सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या (31.03.2024 के अनुसार) अनुलग्नक में दी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) का संचालन करता है जो बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है। इस अधिनियम में राज्य और जिला स्तरों पर सांविधिक संरचनाओं की परिकल्पना की गई है जिसमें राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण एकक और बाल देखरेख संस्थाएं भी शामिल हैं।

इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 (2021 में यथासंशोधित) की धारा 2 (14) के तहत 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

2(14) ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों'' से ऐसा बच्चा अभिप्रेत है :-

i. जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और जिसके पास जीवन निर्वाह के कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है; या
ii. जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने कुछ समय के लिए लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है या सड़क पर भीख मांगते या वहां रहते हुए पाया जाता है; या

iii. जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बच्चे का संरक्षक हो या नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने, -

क. बच्चे को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी अपेक्षा की है अथवा बच्चों के संरक्षण के लिए अभिप्रेत कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून का अतिक्रमण किया है; या

ख. बच्चे को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उसकी धमकी को कार्यान्वित किए जाने की वाजिब संभावना है; या

ग. किसी अन्य बच्चे या बच्चों को मार दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उनकी उपेक्षा या उसका या उनका शोषण किया है और प्रश्नगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा मार दिए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण या उसकी उपेक्षा किए जाने की वाजिब संभावना है; या

iv. जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल या देखभाल करने वाला कोई नहीं है या जिसके माता-पिता या संरक्षक है, किंतु वे उसकी देखरेख करने में, यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए, असमर्थ है; या

v. जिसके माता-पिता अथवा कोई संरक्षक है और ऐसी माता या ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की संरक्षा करने के लिए, समिति द्वारा या बोर्ड द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया जाता है; या

vi. जिसके माता-पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या जिसके माता-पिता ने उसक परित्याग या अभ्यर्पण कर दिया है; या

vii. जो गुमशुदा या भागा हुआ बच्चा है या जिसके माता-पिता ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वाजिब जांच के पश्चात भी नहीं मिल सके हैं; या

viii. जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

ix. जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है; या

x. जिसका अनुचित के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है; या

xi. जो किसी शस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है या प्रभावित है; या

xii. जिसको विवाह की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम है और उसके माता-पिता और कुटंब के सदस्यों, संरक्षक और अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के अनुष्ठापन के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है।

सभी बच्चे जो सीएनसीपी हैं, चाहे उनके माता-पिता कैदी हों या नहीं, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत आते हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 27-30 बाल कल्याण समितियों को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अधिकार देती है। इन समितियों को बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। इसी प्रकार, जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 04-09 किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार देती है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'मॉडल जेल नियमावली, 2016' जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कैदियों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि सहित कल्याण के लिए उचित कदम उठाने का प्रावधान है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के साथ-साथ आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि तक पहुंच में सहायता करते हैं। देखरेख और संरक्षण के आवश्यकता वाले बच्चों को राज्य प्रायोजन, पालन-पोषण, दत्तक ग्रहण और पश्चात देखरेख के माध्यम से गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

****

अनुलग्नक

“कैदियों के बच्चों “ के संबंध में डॉ. शशि थरूर द्वारा दिनांक 20.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4264 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान की संख्या, साथ ही सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या का विवरण (31.03.2024 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	संप्रेक्षण गृह की सं	संप्रेक्षण गृह के लाभार्थी	एसएच की सं	एसएच के लाभार्थी	ओएच-सह -एसएच की संख्या	ओएच-सह -एसएच के लाभार्थी	पीओएस की संख्या	पीओएस के लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	9	108	2	8	2	73	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	5	0	0
3	असम	5	131	0	0	0	0	1	5
4	बिहार	20	892	1	12	0	0	5	250
5	छत्तीसगढ	14	301	7	8	0	0	5	85
6	गोवा	2	4	2	0	0	0	0	0
7	गुजरात	6	300	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	3	94	1	42	0	0	3	125
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	40	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	2	68	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	13	434	1	11	0	0	1	0
12	कर्नाटक	17	109	1	23	0	0	1	8
13	केरल	8	18	2	10	0	0	1	8
14	मध्य प्रदेश	18	570	3	90	0	0	0	0
15	महाराष्ट्र	53	1910	0	0	0	0	0	0
16	मणिपुर	4	36	2	2	1	25	1	1
17	मेघालय	3	15	2	9	0	0	2	10
18	मिजोरम	12	179	2	52	0	0	1	12

19	नागालैंड	12	34	2	12	0	0	0	0
20	उड़ीसा	0	0	0	0	7	312	1	50
21	पंजाब	4	142	2	8	0	0	0	0
22	राजस्थान	40	695	0	0	0	0	12	99
23	सिक्किम	3	39	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	10	202	4	32	0	0	2	41
25	त्रिपुरा	3	9	1	1	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	28	1379	2	5	0	0	1	28
27	उत्तराखंड	10	108	2	15	0	0	2	27
28	पश्चिम बंगाल	14	273	0	0	0	0	0	0
29	तेलंगाना	3	100	1	45	1	41	0	0
30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1	1	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	25	0	0
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
33	लद्दाख	2	10	0	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35	दिल्ली	3	91	1	4	0	0	1	32
36	पुदुचेरी	2	5	1	0	0	0	1	0
	कुल	**323**	**8256**	**42**	**389**	**16**	**522**	**41**	**781**

(ओएच- संप्रेक्षण गृह-विशेष गृह; पीओएस-सुरक्षित स्थान)

*****